कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री सनराईज इण्डस्ट्रीज, 229 प्रेम नगर, बरेली ।**

प्रा0प0सं0— **406 / 08**

प्रार्थी की ओर से— **श्री सचिन अग्रवाल, स्वामी फर्म ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

।— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 04—11—08 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें **लोहे के तार से बनी हुई जाली** पर कर की दर जाननी चाही है।

2— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई श्री सचिन अग्रवाल, स्वामी फर्म हेतु उपस्थित हुयें व उनके द्वारा बताया गया कि लोहे के तार से बनी हुई जाली पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए।

3— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—।, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली से आख्या मांगी गयी जो पत्र संख्या— 2652 दिनांक 5—12—08 से प्रेषित की गयी है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसके अनुसार लोहे के तार से बनी हुई जाली धातु की जाली के अन्तर्गत आती है ।

4— मैनें व्यापारी के धारा—59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, प्राप्त विभागीय आख्या तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को का अवलोकन किया गया। संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग—2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या— क0नि0—2—2758 / ग्यारह—9(।) / 08—उ0प्र0अधि0—5—2008—आदेश—(29)—2008 दिनांक29—9—08 को जारी वैट अधिनियम की अनुसुची—2 के भाग—अ के क्रमांक 92 पर निम्न प्रविष्टि अंकित है :—

92	सभी प्रकार का कागज(जिसमें समाचार पत्र प्रकाशकों से भिन्न व्यक्ति को न्यूज प्रिन्ट की बिक्री सम्मिलित है)एवं गम टेप, चाहे इनका प्रयोग लिखने, छापने, नकल उतारने, पैकिग अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया जाय परन्तु इसमें सैलोफेन, मिल बोर्ड, डुप्लेक्स बोर्ड एवं ग्रेड बोर्ड सम्मिलित नहीं है, प्लाई वुड, फ्लश डोर एवं ब्लाक बोर्ड, धातु की जाली, कांटेदार तार व लकड़ी के चम्मच, कैश बाक्स

पाया गया कि सर्वश्री निर्मल सिंह सलूजा, स्वामी फर्म सर्वश्री दीप इण्टर प्राइजेज, एफ0—88 टी0पी0नगर, लखनऊ प्रा0प0संख्या(7 / 08) के मामले में कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा अपने आदेश दिनांक 12—2—08 में यह माना गया है कि चूंकि लोहे के तार से बनी हुई जाली हार्डवेयर के अन्तर्गत आती है अतः इस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश —2007 के अन्तर्गत जारी विज्ञपित संख्या—केए एनआई—2—67 / ग1.9ख1, .08.नण्चण् वतकमत 7ख्2, .08 कजण् 10.1.08 के अनुसार इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी थी । अतः उक्त आदेश प्रस्तुत मामलें में भी प्रभावी रहेगा तथा दिनांक 29—9—08 के पश्चात प्रविष्टि 92 में परिवर्तन होने के पश्चात तद्नुसार करदेयता परिवर्तित हो जायेगी ।

5— प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा—59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6— इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक ::23 जनवरी, 2009

ह0 / 23— ।—09
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।